राजस्व वाद 83/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/142
छोटुराम बनाम् रामनिवास वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 83/2021

ा–
छोटुराम पुत्र किस्तुरराम ,जाति–जाट,निवासी–नीमनगर,तहसील जायल जिला– (नागौर)

बनाम

दीगण –
रामनिवास पुत्र भैराराम
बाजुड़ी पत्नी भैराराम
मेनेजर राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खाटू कलां
जातियान–जाट निवासी–नीमनगर तहसील जायल जिला – (नागौर)
तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

स्थिति :–
1. श्री गोविन्दराम ढाका , अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री रानप्रकाश बेन्दा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका वादी नजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 हाजरी श्री रामप्रकाश बेन्दा व प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार पस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद षणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ीकार किया जाकर मौजा नीमनगर खसरा नं. 887/1 की भूमि में वादी छोटूराम को तिवादी संख्या 1 से 2 क्रमश रामनिवास व बाजुड़ी के सहखातेदारी में किया जाकर निम्न कार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी छोटुराम के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा नीमनगर का खसरा नंबर 887/1 रकबा 2.3148 में से रकबा 0.0583 हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमी कोने पर की भूमि का नजरीनक्शानुसार खातेदार घोषित किया जाता है।
   मौजा नीमनगर का खेत खसरा नंबर 887/1 रकबा 2.3148 हैक्टेयर में से शेष रकबा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में नजरीनक्शानुसार बंट में रहेगा।

20/9/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner